मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में युवा उद्यमियों/संस्थाओं के माध्यम से मृदा नमूना परीक्षण के लिए प्रयोगशाला आवंटन के लिए आवेदन पत्र हेतु सामान्य जानकारी

1. मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं में मिटटी परीक्षण कराये जाने हेतु कृषि स्नातक युवाओं/संस्थाओं का चयन किया जावेगा। चयनित युवा उद्यमी/संस्थाएं 265 नवीन मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन करेगें।
2. प्रयोगशाला संचालन हेतु युवा उद्यमी, संस्थाओं में - खाद्य प्रसंस्करण संस्थाएं, कृषक उत्पादक समूह (FPO) / कृषक उत्पादक कंपनी आदि को चयनित किया जावेगा।
3. मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला भवन एवं यथा उपलब्ध प्रयोगशाला उपकरणों/यंत्रों को चयनित युवाओं/संस्थाओं को प्रदाय किया जावेगा।
4. मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं के आवंटन प्रकिया में युवा उद्यमियों/संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों में सर्वप्रथम संस्थाओं को वरीयता दी जावेगी।
5. एक जिले में प्रति आवेदक केवल एक मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला आवंटित की जाएगी।
6. विभागीय तौर पर संकलित मृदा नमूनों के लिए कोई शुल्क किसानों से नहीं लिया जायेगा। युवा उद्यमी/संस्थाएं अपनी आय को बढाने के लिये कृषकों से सीधे परीक्षण हेतु नमूने प्राप्त कर सकेगें ।
7. उद्यमियों/संस्थाओं को प्रथमत: 03 वर्ष तक प्रतिवर्ष 4500 मृदा नमूने विभाग द्वारा प्रदाय करने की गारण्टी दी जावेगी। न्यूनतम मृदा नमूना की गारंटी राशि/जांच शुल्क का भुगतान भारत सरकार की स्वाइल हैल्थ एण्ड फर्टीलिटी योजना से प्रावधान अनुसार किया जावेगा।
8. विभाग द्वारा प्रदाय किए गए मृदा नमूनों की संख्या प्रथमत: 03 वर्ष तक प्रति वर्ष 4,500 प्रति प्रयोगशाला से कम नहीं होगी। उसके बाद गारण्टी नमूनों की संख्या क्रमश: चतुर्थ वर्ष में 3600, पांचवे वर्ष में 2700, छठवे वर्ष में 1800, सातवे वर्ष में 900 रहेगी।
9. **युवा उद्यमी/संस्थाओं का चयन :**

विकासखण्ड स्तर पर स्थापित 265 मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं को संचालित करने के लिए आवेदन 02 श्रेणियों में संस्थाओं /युवा उद्यमियों के प्रस्ताव/आवेदन राज्य स्तर से विज्ञापन कर आमंत्रित किये जा रहे हैं, श्रेणियां का विवरण निम्नानुसार है :-

9.1 संस्थागत श्रेणी -1 :

(i) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्यरत उद्योगिक संस्थाएं।

(ii) एग्रीगेटर्स, जो किसानों से उत्पाद की खरीदारी करते हैं और खाद्य प्रोसेसर उद्योगों को या सीधे उपभोक्ताओं को आपूर्ति करते हैं। एग्रीगेटर्स से तात्पर्य है ऐसी संस्था जो कंपनी अधिनियम/सहकारिता अधिनियम/फर्म, सोसायटी अधिनियम में विधिक पंजीकृत होकर किसानों से उत्पाद की खरीदारी करते हैं और खाद्य प्रोसेसर उद्योगों को या सीधे उपभोक्ताओं को आपूर्ति करते हैं।

(iii) कृषक उत्पादक समूह (FPO)/कृषक उत्पादक कंपनी ।

कृषक उत्पादक समूह (एफ.पी.ओ.)/कृषक उत्पादक कंपनी से तात्पर्य सहकारिता अधिनियम, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एफ.पी.ओ. से है। एफ.पी.ओ. का पंजीयन आवेदन करने की अंतिम तिथि को कम से कम एक वर्ष पूर्व हुआ हो।

कोई भी व्यवसायी पंजीकृत कंपनी/पार्टनरशिप फर्म में सदस्य नहीं है तो उसको संस्था के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा।

आवेदक संस्था का टर्नओवर विगत वित्तीय वर्ष (2023-24) में एक करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए। आवेदक संस्थाओं के कारोबार (Turnover) के आधार पर अधिक कारोबार वाली संस्था/कंपनी को वरीयता दी जावेगी।

9.2 युवा उद्यमी श्रेणी - 2

कृषि स्नातक / उद्यानिकी स्नातक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवा प्रयोगशाला आवंटन के लिए पात्र होंगे।

9.3 युवा उद्यमियों के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं वरियता -

(9.3.1) शैक्षणिक योग्यता बी.एससी. (कृषि)/बी.एससी. (उद्यानिकी) रहेगी।

(9.3.2) मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को निम्न क्रम में वरीयता दी जावेगी।

(9.3.3) प्रथमत: शैक्षणिक योग्यता अनुसार वरीयता दी जावेगी, वरीयता का क्रम निम्न अनुसार रहेगा -

(1) पीएच.डी. (स्वाइल साईंस)

(2) पीएच.डी. (एग्रोनॉमी)

(3) पीएच.डी. (कृषि विज्ञान के किसी भी संकाय में पीएच.डी.)

(4) एम.एससी. (स्वाइल साईंस)

(5) एम.एससी. (एग्रोनॉमी)

(6) एम.एससी. (कृषि)

(7) बी.एससी.(कृषि)/बी.एससी. (उद्यानिकी)

उपरोक्त तालिका अनुसार प्रथम वरीयता पीएच.डी. (स्वाइल साईंस) एवं अंतिम वरीयता बी.एससी. (कृषि)/बी.एससी. (उद्यानिकी) को दी जावेगी।

(9.3.4) शैक्षणिक योग्यता समान होने पर अर्जित अंक के आधार पर वरीयता दी जावेगी।

(9.3.5) यदि शैक्षणिक योग्यता/अंक समान होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यार्थी को वरीयता दी जावेगी।

10. अभ्यर्थी युवा उद्यमी को संबंधित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के जिले का निवासी होना अनिवार्य है। महिला उद्यमी की स्थिति में विवाह उपरांत पति के मूल निवास जिले को महिला उद्यमी के निवास का जिला मान्य किया जावेगा।

11. युवा उद्यमी की आयु आवेदन करने की अंतिम तिथि को अधिकतम आयु 35 वर्ष तक मान्य रहेगी।

12. युवा उद्यमी/संस्थाओं के चयन के लिए राज्य स्तर से जारी विज्ञापन के अनुक्रम में, आवेदन जिला स्तर पर युवा उद्यमियों से लिये जा रहे हैं।

13. युवा उद्यमियों / संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण हेतु कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर गठित परीक्षण समिति द्वारा आवेदनों का परीक्षण कर चयन की अनुशंसा की जावेगी।

14. चयनित उम्मीदवारों को जिले के अंदर उन्हें आवंटित की जाने वाली प्रयोगशाला चयन करने के लिए विकल्प/प्राथमिकता के अनुसार प्रयोगशाला चयन का अवसर दिया जावेगा।

15. यदि एक से अधिक पात्र आवेदक ने प्रयोगशाला के आवंटन के लिए आवेदन किया है, तो प्रयोगशाला का आवंटन उस आवेदक को किया जाएगा जो प्राथमिकता सूची में सर्वोच्च स्थान पर है।

16. चयनित युवा उद्यमियों/ संस्थाओं को प्रयोगशाला आवंटन के पूर्व जिला स्तर पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गए अभिलेखों का सत्यापन कराया जावेगा।

17. जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत संबंधित जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के द्वारा चयन सूची (प्राथमिकता आधारित) एवं प्रतीक्षा सूची प्रकाशित की जाएगी। जिले में उपलब्ध मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या के आधार पर चयनित किये जाने वाले युवा उद्यमियों/संस्थाओं की संख्या के बराबर प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। जिले में प्रतीक्षा सूची 02 वर्ष तक मान्य रहेगी।

18. मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालावार चयनित युवा उद्यमी/संस्थाओं को कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत, उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा जिले में मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला का आवंटन आदेश प्रथमत: 03 वर्ष के लिए जारी किये जावेंगे।

19. चयनित युवा उद्यमी/संस्थाओं को एक माह में अनुबंध शर्तों को स्वीकार कर, प्रयोगशाला को प्राप्त करना रहेगा। ऐसा नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को आवंटन कर दिया जाएगा।

20. आवंटन उपरांत युवा उद्यमी/संस्थाओं को जिला स्तर पर प्रयोगशाला संचालन के लिये संबंधित जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के साथ अनुबंध संपादन करना होगा।

21. शासन द्वारा मृदा विश्लेषण के लिए समस्त उपलब्ध प्रयोगशाला उपकरणों एवं प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे के रखरखाव हेतु सेवा प्रदाता युवा उद्यमी/संस्थाएं उत्तरदायी रहेंगे।

22. प्रयोगशाला में नमूना परीक्षण हेतु रिजेंटस, केमिकल ग्लासवेयर की व्यवस्था उद्यमी/संस्थाओं को स्वयं के स्तर से करना होगी।

23. युवा उद्यमी/संस्था को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के आवंटन होने के उपरांत मृदा नमूना परीक्षण कार्य हेतु बीएससी.(एजी.)/एमएससी.(एजी.) योग्यता धारी व्यक्ति को अनिवार्यत: प्रयोगशाला में रखना होगा।

24. प्रयोगशाला के संचालन हेतु बिजली, पानी, अवशिष्ट प्रबंधन के साथ अन्य व्यवस्थाओं की लागत युवा उद्यमी/संस्थाओं द्वारा वहन करना रहेगी।

25. युवा उद्यमी/संस्थाओं को अपनी आवश्यकता अनुसार अन्य प्रयोगशाला के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था स्वयं के स्तर से करना होगी।

26. प्रयोगशाला उपकरणों का संधारण, सुधार एवं वार्षिक रखरखाव युवा उद्यमी/संस्थाओं द्वारा करना रहेगा।

27. शासन द्वारा निर्देश, प्रकिया अनुसार युवा उद्यमी/संस्थाओं द्वारा मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला में मृदा नमूनों का विश्लेषण कर उर्वरकों/पोषक तत्वों की अनुशंसा के साथ किसानों को स्वाइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराना होगा।

28. युवा उद्यमी/संस्थाओं के द्वारा प्रयोगशाला से संबंधित विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से पोर्टल से मुद्रित स्वाइल हैल्थ कार्ड किसानों को उपलब्ध कराये जाना रहेगा।

29. युवा उद्यमी/संस्थाओं को शासन द्वारा निर्देश प्रक्रिया अनुसार मृदा नमूना परीक्षण करना रहेगा।

30. युवा उद्यमी/संस्थाओं द्वारा परीक्षण किये गये मृदा नमूनों के विश्लेषण एवं स्वाइल हैल्थ कार्ड का समस्त डाटा को शासन द्वारा निर्देशित पोर्टल पर अनिवार्यत: अपलोड करना रहेगा।

31. युवा उद्यमी किसानों द्वारा दिए गए नमूनों का विश्लेषण भी कर सकता है और उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान कर सकता है। ऐसी सेवाओं के लिए, शासन द्वारा निर्धारित शुल्क को किसानों से ले सकता है।

32. युवा उद्यमी अपने आवंटित विकासखण्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही किसानों से स्वयं के स्तर पर मृदा नमूने एकत्रित कर सकेंगे। अपने विकासखण्ड से बाहर के अन्य क्षेत्र से मृदा नमूना एकत्रित करने पर संबंधित युवा उद्यमी/संस्था के विरूद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगी।

33. विभाग द्वारा मृदा नमूनों को युवा उद्यमियों को उपलब्ध कराते समय यादृच्छिक रूपेण (Random) 01 प्रतिशत मृदा नमूना, संबंधित विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी लेकर रेफरल के रूप में विभागीय मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं को भेजकर परीक्षण कराएंगे। युवा उद्यमी/ संस्थाओं द्वारा परीक्षित किये गये नमूने का परिणाम विभागीय मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला में रेफरल नमूने का परिणाम से भिन्न/संतोषजनक न होने पर संबंधित लॉट की राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

34. युवा उद्यमी/संस्थाओं द्वारा अपने संसाधन, क्षमता के आधार पर मिटटी नमूना परीक्षण के साथ-साथ अन्य सुविधाएं सिंचाई जल गुणवत्ता परीक्षण, पालतु पशुओं के रक्त परीक्षण आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। युवा उद्यमी के द्वारा मिट्टी परीक्षण के अतिरिक्त किसानों को अन्य परीक्षण सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सेवा प्रदाता उद्यमी किसानों से आपसी सहमति के आधार पर प्रति नमूना शुल्क प्राप्त कर सकेगें।

35. युवा उद्यमी/संस्थाओं को अनुबंध संपादित होने पर प्रति प्रयोगशाला राशि रूपये 50,000 की धरोहर जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास में जमा करनी होगी। यह धरोहर राशि एफडी के रूप में जमा करना रहेगी।

36. युवा उद्यमी/संस्थाओं को अनुबंध तिथि से दो माह के अंदर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मृदा नमूना परीक्षण कार्य को आरंभ करना होगा।

37. युवा उद्यमी/संस्थाओं के द्वारा विश्लेषित किये गये मृदा नमूनों का समस्त डाटा नियत पोर्टल पर अनिवार्यतः अपलोड करना रहेगा। पोर्टल पर उपलब्ध मृदा नमूना परीक्षण संख्या के डाटाबेस के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

38. प्रतिमाह विश्लेषित मृदा नमूनों एवं स्वाइल हैल्थ कार्ड की संख्या के अनुसार राशि का मांग पत्र उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रस्तुत किये जाने पर राशि का भुगतान उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा युवा उद्यमी/संस्थाओं को किया जावेगा।

39. युवा उद्यमियों/संस्थाओं द्वारा कृषकों के नमूना परीक्षण, स्वाइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था का समय-समय पर उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के द्वारा अधिकृत सहायक मिटटी परीक्षण/ मृदा सर्वेक्षण अधिकारी / नोडल अधिकारी द्वारा 03 माह में कम से कम एक बार मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया जावेगा।

40. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास या उनके अधिकृत सहायक संचालक द्वारा कम से कम छः माह में एक बार आवंटित मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला के भण्डार (उपकरण, फर्नीचर, इक्यूपमेंट्स, केमिकल ग्लासवेयर आदि) का अनिवार्यतः भौतिक सत्यापन किया जावेगा।

41. युवा उद्यमी/संस्था सेवा प्रदाता को जिला स्तरीय तकनीकि समिति के निरीक्षण में सहयोग प्रदाय किया जाना रहेगा तथा मृदा नमूना विश्लेषण प्रक्रिया संबंधी निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा।

42. चयनित युवा उद्यमी/संस्थाओं के द्वारा उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के साथ संपादित अनुबंध की शर्तों, शासन के निर्देशों का उल्ल्घंन करने पर धरोहर राशि जब्त की जा सकती है तथा अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।

43. अनुबंध शर्तों के उल्लघंन होने पर संबंधित युवा उद्यमी/संस्था को नोटिस जारी किया जावेगा। नोटिस का जवाब संतोषजनक न होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।

44. युवा उद्यमी/संस्था यदि स्वेच्छा से मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला में मृदा नमूना परीक्षण का कार्य बंद करना चाहे तो युवा उद्यमी/संस्था द्वारा विभाग को न्यूनतम 02 माह पूर्व लिखित में सूचित करना रहेगा। बिना सूचना दिए कार्य बंद करने पर राशि रू. 50,000/- जमा करना रहेगी अथवा आवेदक की धरोहर राशि से काट ली जावेगी।

45. युवा उद्यमी/संस्थाओं द्वारा शासन से नियत नमूना शुल्क से अधिक शुल्क कृषक से लेने पर युवा उद्यमी के साथ अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।

46. युवा उद्यमी/संस्थाओं के द्वारा भारत सरकार के स्वाइल टेस्टिंग मेथड्स मेनुअल की प्रक्रिया अनुसार नमूना परीक्षण नहीं किये जाने/त्रुटिपूर्ण परीक्षण/त्रुटिपूर्ण उर्वरकों-पौषक तत्वों की अनुशंसा करने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

47. युवा उद्यमी/संस्थाएं संबंधित जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के निर्णय के विरूद्ध जिले के कलेक्टर को अपील कर सकेगा।

48. कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध संबंधित संभाग के आयुक्त को पुर्नअवलोकन अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

49. लघु (Minor) मरम्मत एवं रख-रखाव युवा उद्यमी द्वारा किया जावेगा, जिसमें फर्श, दीवार, प्लास्टर टूट-फूट या इलेक्ट्रिकल उपकरण/इलेक्ट्रिक वायरिंग आदि का संधारण भी सम्मिलित रहेगा। भवनों में बृहद (Major) स्तर की मरम्मत शासन द्वारा कराई जावेगी, इसमें भवन की दीवार/छत आदि के क्षतिग्रस्त होने पर सुद्दढ़ीकरण आदि सम्मिलित रहेगा, इस संबंध में संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास का निर्णय अंतिम होगा।

50. युवा उद्यमी/संस्थाओं द्वारा आगे निरंतर कार्य नहीं करने अथवा प्रोजेक्ट का अनुबंध समाप्त होने पर, शासन द्वारा उद्यमी/संस्थाओं को प्रदाय प्रयोगशाला भवन अच्छी स्थिति में तथा उद्यमी को प्रदाय उपकरणों को क्रियाशील स्थिति में शासन को वापस करना रहेगा। यदि युवा उद्यमी/संस्था उपकरणों/सामग्री को वापस नहीं करता है तो संबंधित की राशि आवंटी से वसूल की जाएगी। वसूल की जाने वाली राशि का निर्धारण करने के उद्देश्य से उपकरण, फर्नीचर आदि (भवन को छोड़कर) पर प्रति वर्ष 15% के मान से मूल्यह्रास की गणना की जाकर राशि की वसूली की जावेगी।

51. आवंटी युवा उद्यमी के द्वारा मृदा नमूना परीक्षण का कार्य नहीं करने/अनुबंध समाप्त करने पर, युवा उद्यमी को प्रदाय भवन, उपकरण, फर्नीचर व अन्य प्रदाय सामग्री को विभाग को वापस न करने की स्थिति में विभाग द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रदाय शासकीय सामग्री/भवन आदि को अधिगृहित कर लिया जावेगा।

52. प्रयोगशाला उपकरणों/सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी युवा उद्यमी/संस्थाओं की रहेगी। युवा उद्यमी/संस्थाओं की लापरवाही से यदि नुकसान/सामग्री गुम होती है तो संबंधित युवा उद्यमी/संस्था से वसूल की जावेगी।

53. युवा उद्यमी आवंटित प्रयोगशाला में किसानों के हित में मृदा परीक्षण के अलावा केवल बेलेंस न्यूट्रिऐंट मैनेजमेंट बेस्ड गतिविधियां भी कर सकेंगे, जो जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के अनुमत्य से संचालित की जा सकेंगी।

54. उद्यमी/संस्था के कार्य का 03 वर्ष बाद मूल्यांकन, परीक्षण कर संतोषजनक होने पर संविदा अवधि को आगामी 05 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। कार्य संतोषजनक न होने पर संविदा को समाप्त किया जावेगा।

55. अनुबंध अवधि समाप्ति के पूर्व अपरिहार्य कारणों से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

56. युवा उद्यमी, संस्थाओं द्वारा नमूना परीक्षण के लिए आवेदन एवं प्रयोगशाला आवंटन प्रक्रिया, प्रयोगशाला संचालन के संबंध किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे, इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

(संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास महोदय द्वारा अनुमोदित)

3/10/2024

उप संचालक (मिट्टी परीक्षण)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र. भोपाल

(परिशिष्ट-1)

अनुबंध-पत्र प्रारूप

प्रथम पक्ष- उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला.................................. (म.प्र.)

द्वितीय पक्ष- चयनित युवा उद्यमी/संस्था का नाम एवं पता ....

आवेदक युवा उद्यमी/संस्था का नाम ....
युवा उद्यमी/संस्था का पूरा पता ....
को नवीन स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, विकासखण्ड..
जिला..में मृदा नमूना परीक्षण कार्य करने हेतु चयनित किया गया है। आवेदक के प्रयोगशाला आवंटन हेतु चयनित होने पर निम्नानुसार अनुबंध संपादित किया जा रहा है।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में युवा उद्यमियों/संस्थाओं के माध्यम से मृदा नमूना परीक्षण कार्य के लिए प्रयोगशाला आवंटन हेतु आमंत्रित आवेदनों के अनुक्रम में, आवेदक के प्रस्ताव का चयन होने पर प्रयोगशालाओं में मिटटी परीक्षण करने हेतु द्वितीय पक्षकार ने प्रथम पक्षकार की शर्तों को स्वीकार करते हुए निम्नानुसार 03 वर्ष के लिए अनुबंध संपादित किया जा रहा है। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध शर्तों का पालन करना बंधनकारी रहेगा। अनुबंध की शर्ते निम्नानुसार हैं :-

1. मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भवन -

1.1. आवंटित प्रयोगशाला भवन का उपयोग करते हुए प्रयोगशाला भवन को अच्छी स्थिति में रखना युवा उद्यमी/संस्थाओं की जिम्मेदारी रहेगी।

1.2 लघु (Minor) मरम्मत एवं रख-रखाव युवा उद्यमी द्वारा किया जावेगा, जिसमें फर्श, दीवार, प्लास्टर टूट-फूट या इलेक्ट्रिकल उपकरण/इलेक्ट्रिक वायरिंग आदि का संधारण भी सम्मिलित रहेगा।

1.3 भवनों में बृहद (Major) स्तर की मरम्मत शासन द्वारा कराई जावेगी, इसमें भवन की दीवार/छत आदि के क्षतिग्रस्त होने पर सुदृढ़ीकरण आदि सम्मिलित रहेगा, इस संबंध में संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास का निर्णय अंतिम होगा।

1.4 युवा उद्यमी/संस्थाओं द्वारा आगे निरंतर कार्य नहीं करने अथवा प्रोजेक्ट का अनुबंध समाप्त होने पर, शासन द्वारा उद्यमी/संस्थाओंको प्रदाय प्रयोगशाला भवन अच्छी स्थिति में शासन को वापस करना रहेगा।

1.5 किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड या मृदा मानचित्र बनाये जाने के लिए सरकार मृदा परीक्षण आदि के लिए प्रयोगशालाओं का उपयोग कर सकती है।

2. मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला उपकरण, रिजेंटस-

2.1 वर्तमान में प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण युवा उद्यमी/संस्थाओं को उपलब्ध कराये जावेंगे। उपलब्ध प्रयोगशाला उपकरण की सूची **परिशिष्ट-1.1** पर है।

2.2 युवा उद्यमी/संस्थाओं को अपनी आवश्यकता अनुसार अन्य प्रयोगशाला के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था स्वयं के स्तर से करना होगी।

2.3 प्रयोगशाला उपकरणों का संधारण, सुधार एवं वार्षिक रखरखाव युवा उद्यमी/संस्थाओं द्वारा करना रहेगा।

2.4 प्रयोगशाला यंत्रो की सुरक्षा की जिम्मेदारी युवा उद्यमी/संस्थाओं की रहेगी।

2.5 प्रयोगशाला में नमूना परीक्षण हेतु रिजेंटस, केमिकल ग्लासवेयर की व्यवस्था उद्यमी/संस्थाओं को स्वयं के स्तर से करना होगी।

2.6 युवा उद्यमी/संस्थाओं द्वारा आगे निरंतर कार्य नही करनें अथवा प्रोजेक्ट का अनुबंध समाप्त होने पर शासन द्वारा उद्यमी को प्रदाय उपकरणों को क्रियाशील स्थिति में शासन को वापस करना होगा।

2.7 युवा उद्यमी/संस्थाओं द्वारा आगे निरंतर कार्य नहीं करने अथवा अनुबंध का समय समाप्त होने पर शासन द्वारा उद्यमी को प्रदाय उपकरणों को क्रियाशील स्थिति में शासन को वापस करना होगा। यदि युवा उद्यमी/संस्था उपकरणों/सामग्री को वापस नहीं करता है तो संबंधित की राशि आवंटी से वसूल की जाएगी। वसूल की जाने वाली राशि का निर्धारण करने के उद्देश्य से उपकरण, फर्नीचर आदि (भवन को छोड़कर) पर प्रति वर्ष 15% के मान से मूल्यह्रास की गणना की जाकर राशि की वसूली की जावेगी।

2.8 प्रयोगशाला के संचालन हेतु बिजली, पानी, अवशिष्ट प्रबंधन के साथ अन्य व्यवस्थाओं की लागत युवा उद्यमी/संस्थाओं द्वारा वहन करना रहेगी।

2.9 उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास या उनके अधिकृत सहायक संचालक द्वारा कम से कम छः माह में एक बार आवंटित मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला के भण्डार (उपकरण, फर्नीचर, इक्यूपमेंट्स, केमिकल ग्लासवेयर आदि) का अनिवार्यतः भौतिक सत्यापन किया जावेगा।

3. धरोहर राशि -

3.1 युवा उद्यमी/संस्थाओं को अनुबंध संपादित होने पर प्रति प्रयोगशाला राशि रूपये **50,000** की धरोहर जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास में जमा करनी होगी। यह धरोहर राशि एफडी या वैध बैंक गांरटी के रूप जमा करना होगी।

3.2 यदि उद्यमी/संस्थाओं भवन या उपकरण को नुकसान पहुंचाता है और उप संचालक से प्राप्त निर्देशों पर इसे ठीक नहीं करता है, तो धरोहर राशि को जब्त किया जा सकता है और इसे नुकसान को दूर करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

3.3 यदि कोई उपकरण गुम हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, और उद्यमी/संस्था उसे नहीं बदलता/मरम्मत नहीं करता है तो इस धनराशि से उसकी मरम्मत / प्रतिस्थापन किया जा सकता है।

3.4 यदि अनुबंध की समाप्ति /निरस्त होने के बाद उद्यमी/संस्थाएं उपकरण को वापस नहीं करती हैं, तो इसे इस धरोहर राशि से वसूल किया जा सकता है।

3.5 वसूली की जाने वाली राशि अमानत (धरोहर) राशि से अधिक होने की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व के बकाये के रूप में उद्यमी से वसूल कर सकेगा।

3.6 युवा उद्यमी/संस्था यदि स्वेच्छा से मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला में मृदा नमूना परीक्षण का कार्य बंद करना चाहे तो युवा उद्यमी/संस्था द्वारा विभाग को न्यूनतम 02 माह पूर्व लिखित में सूचित करना रहेगा। बिना सूचना दिए कार्य बंद करने पर राशि रू. 50,000/- जमा करना रहेगी अथवा आवेदक की धरोहर राशि से काट ली जावेगी।

3.7 धरोहर राशि से देय राशि की वसूली के अलावा उद्यमी के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से अनुबंध की समाप्ति की कार्यवाही की जा सकती है।

3.8 आवंटी युवा उद्यमी के द्वारा मृदा नमूना परीक्षण का कार्य नहीं करने/अनुबंध समाप्त करने पर, युवा उद्यमी को प्रदाय भवन, उपकरण, फर्नीचर व अन्य प्रदाय सामग्री को विभाग को वापस न करने की स्थिति में विभाग द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रदाय शासकीय सामग्री/भवन आदि को अधिगृहित कर लिया जावेगा।

4. मृदा नमूना परीक्षण व्यवस्था -

4.1 शासन द्वारा निर्देश, प्रकिया अनुसार युवा उद्यमी/संस्थाओं द्वारा मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला में मृदा नमूनों का विश्लेषण कर उर्वरकों/पोषक तत्वों की अनुशंसा के साथ किसानों को स्वाइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराना होगा।

4.2 युवा उद्यमी/संस्थाओं के द्वारा प्रयोगशाला से संबंधित विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से पोर्टल से मुद्रित स्वाइल हैल्थ कार्ड किसानों को उपलब्ध कराये जाना रहेगा।

4.3 युवा उद्यमी/संस्थाओं द्वारा परीक्षण किये गये मृदा नमूनों के विश्लेषण एवं स्वाइल हैल्थ कार्ड का समस्त डाटा को शासन द्वारा निर्देशित पोर्टल पर अनिवार्यत: अपलोड करना रहेगा।

4.4 युवा उद्यमी/संस्था को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के आवंटन होने के उपरांत मृदा नमूना परीक्षण कार्य हेतु बीएससी.(एजी.)/एमएससी.(एजी.) योग्यता धारी व्यक्ति को अनिवार्यत: प्रयोगशाला में रखना होगा।

5. विभाग द्वारा मृदा नमूना उपलब्ध कराया जाना -

5.1 युवा उद्यमी/संस्थाओं को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा, भारत सरकार से मृदा नमूना परीक्षण हेतु प्राप्त लक्ष्य के आधार पर, मृदा नमूना उपलब्ध कराये जावेंगे। उद्यमियों/संस्थाओं को प्रथमत: 03 वर्ष तक प्रतिवर्ष 4500 मृदा नमूने

प्रदाय की गारण्टी दी जावेगी। शासन द्वारा प्रदाय किए गए मृदा नमूनों की संख्या प्रथमत: 03 वर्ष तक प्रति वर्ष 4,500 प्रति प्रयोगशाला से कम नहीं होगी। न्यूनतम मृदा नमूना की गारंटी राशि/जांच शुल्क का भुगतान भारत सरकार की स्वाइल हैल्थ एण्ड फर्टीलिटी योजना से प्रावधान अनुसार किया जावेगा।

5.2 प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में आगामी 06 माह में युवा उद्यमी/संस्थाओं के माध्यम से विश्लेषित कराये जाने वाले संभावित मृदा नमूनों की संख्या उप संचालक द्वारा युवा उद्यमी को अवगत कराया जावेगा।

5.3 उद्यमी किसानों द्वारा दिए गए नमूनों का विश्लेषण भी कर सकता है और उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान कर सकता है। ऐसी सेवाओं के लिए, शासन द्वारा निर्धारित शुल्क को किसानों से ले सकता है। युवा उद्यमी अपने आवंटित विकासखण्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही किसानों से स्वयं के स्तर पर मृदा नमूने एकत्रित कर सकेंगे। अपने विकासखण्ड से बाहर के अन्य क्षेत्र से मृदा नमूना एकत्रित करने पर संबंधित युवा उद्यमी/संस्था के विरूद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगी।

5.4 विभाग द्वारा मृदा नमूनों को युवा उद्यमियों को उपलब्ध कराते समय यादृच्छिक रूपेण (Random) 01 प्रतिशत मृदा नमूना, संबंधित विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी लेकर रेफरल के रूप में विभागीय मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं को भेजकर परीक्षण कराएंगे। युवा उद्यमी/ संस्थाओं द्वारा परीक्षित किये गये नमूने का परिणाम विभागीय मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला में रेफरल नमूने का परिणाम से भिन्न/संतोषजनक न होने पर संबंधित लॉट की राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

5.5 युवा उद्यमी/संस्थाओं के रेफरल नमूना का विभागीय मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला के नमूना विश्लेषण परिणाम से संतुष्ट न होने पर, संबंधित रेफरल नमूने को कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र में स्थापित मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला या शासन द्वारा निर्देशित अन्य प्रयोगशाला में परीक्षण करा सकेगें।

5.6 युवा उद्यमी/संस्थाओं द्वारा अपने संसाधन, क्षमता के आधार पर मिटटी नमूना परीक्षण के साथ-साथ अन्य सुविधाएं सिंचाई जल गुणवत्ता परीक्षण, पालतु पशुओं के रक्त परीक्षण आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। युवा उद्यमी के द्वारा मिट्टी परीक्षण के अतिरिक्त किसानों को अन्य परीक्षण सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सेवा प्रदाता उद्यमी किसानों से आपसी सहमतिके आधार पर प्रति नमूना शुल्क प्राप्त कर सकेगें।

6. प्रयोगशाला हस्तांतरण एवं कार्यारंभ करना -

6.1 युवा उद्यमी/संस्थाओं के चयन उपरांत अनुबंध संपादित होने की तिथि से एक माह में उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा युवा उद्यमी/संस्थाओं को प्रयोगशाला भवन, यथा उपलब्ध प्रयोगशाला उपकरण आदि को हस्तांतरित किया जाएगा।

6.2 युवा उद्यमी/संस्थाओं को अनुबंध तिथि से दो माह के अंदर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मृदा नमूना परीक्षण कार्य को आरंभ करना होगा।

6.3 मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में एक कमरा विभाग के अमले के लिए पृथक से आरक्षित रखा जाएगा।

7. अनुबंध की अन्य शर्तें -

7.1 विभाग द्वारा मृदा विश्लेषण के लिए समस्त उपलब्ध प्रयोगशाला उपकरणों एवं प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे के रखरखाव हेतु सेवा प्रदाता युवा उद्यमी/संस्थाएं उत्तरदायी रहेंगे।

7.2 आवंटी द्वारा आवंटित मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु पृथक से विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग से लिया जाना रहेगा।

7.3 युवा उद्यमी/संस्थाओं को कार्य आवंटन उपरांत शासन के नियमानुसार लागू समस्त करों का भुगतान आवंटी संस्था/युवा उद्यमी को करना रहेगा।

7.4 उद्यमी/संस्था के कार्य का 03 वर्ष बाद मूल्यांकन, परीक्षण कार्य संतोषजनक न होने पर संविदा को समाप्त किया जा सकेगा।

7.5 अनुबंध अवधि के पूर्ण होने पर या शर्तों के अनुरूप कार्य न करने पर अनुबंध के निरस्त होने पर, शासन द्वारा प्रदाय कराए गये प्रयोगशाला भवन, प्रयोगशाला उपकरण (कार्यशील स्थिति में), तकनीकी अभिलेख सेवा प्रदाता द्वारा उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को अनिवार्यत: सौंपा जाना रहेगा।

7.6 सेवा प्रदाता युवा उद्यमी को अनुबंध समाप्त होने के समय, संबंधित जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को संसाधनों के अंतरण करने के उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

7.7 सेवा प्रदाता युवा उद्यमी/संस्थाएं द्वारा मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला भवन में नया स्थाई निर्माण नहीं किया जा सकेगा। अस्थाई निर्माण उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की पूर्व अनुमति से किया जा सकेगा, जिसे अनुबंध समाप्ति पर अपने स्वयं के व्यय से हटाने की अनिवार्यता: होगी।

7.8 अनुबंध अवधि समाप्ति के पूर्व अपरिहार्य कारणों से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

7.9 युवा उद्यमी, संस्थाओं द्वारा नमूना परीक्षण के लिए आवेदन एवं प्रयोगशाला आवंटन प्रक्रिया, प्रयोगशाला संचालन के संबंध किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू रहेंगे।

8. अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर कार्यवाही -

8.1 चयनित युवा उद्यमी/संस्थाओं के द्वारा उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के साथ संपादित अनुबंध की शर्तों का उल्ल्घंन करने पर धरोहर राशि जब्त की जा सकती है तथा अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।

8.2 अनुबंध शर्तों के उल्लघंन होने पर संबंधित युवा उद्यमी/संस्था को नोटिस जारी किया जावेगा। नोटिस का जवाब संतोषजनक न होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।

8.3 युवा उद्यमी/संस्थाओं द्वारा शासन से नियत नमूना शुल्क से अधिक शुल्क कृषक से लेने पर युवा उद्यमी के साथ अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।

8.4 युवा उद्यमी/संस्थाओं के द्वारा भारत सरकार के स्वाइल टेस्टिंग मेथड्स मेनुअल की प्रक्रिया अनुसार नमूना परीक्षण नहीं किये जाने/त्रुटिपूर्ण परीक्षण/त्रुटिपूर्ण उर्वरकों-पौषक तत्वों की अनुशंसा करने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

प्रथम पक्षकार

(हस्ताक्षर)
उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला ....

द्वितीय पक्षकार

(हस्ताक्षर)
युवा उद्यमी/संस्था का नाम ....
पता...
मोबाइल नं..

(संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

उप संचालक (मिट्टी परीक्षण)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र. भोपाल

परिशिष्ट-2.1

मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला में उपलब्ध प्रयोगशाला उपकरणों के हस्तांतरण हेतु पत्रक

क्र.	प्रयोगशाला उपकरण का नाम	निर्माता कंपनी	मेक/मॉडल	मूल्य (रू.)	क्रय वर्ष	संख्या

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला.......................

युवा उद्यमी/संस्था का नाम
....
पता ....

परिशिष्ट-2.2

मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला में उपलब्ध फर्नीचर आदि सामग्री के हस्तांतरण हेतु पत्रक

क्र.	फर्नीचर सामग्री का नाम	सामग्री विवरण	मूल्य (रू.)	क्रय वर्ष	संख्या

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला.......................

युवा उद्यमी/संस्था का नाम
....
पता ....

परिशिष्ट-2.3

मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला में उपलब्ध अन्य सामग्री प्रयोगशाला के हस्तांतरण हेतु पत्रक

क्र.	अन्य सामग्री का नाम	सामग्री विवरण	मेक/मॉडल	मूल्य (रू.)	क्रय वर्ष	संख्या

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला.......................

युवा उद्यमी/संस्था का नाम
....
पता ....

परिशिष्ट-2.4

मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला भवन के हस्तांतरण हेतु पत्रक

क्र.	मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	प्रयोगशाला भवन में उपलब्ध कमरा/हॉल (संख्या)	युवा उद्यमी/ संस्था को अंतरित कमरा/हॉल (संख्या)	कमरा/हॉल/ खिड़की की सामान्य जानकारी

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला.......................

युवा उद्यमी/संस्था का नाम
....
पता ....

(परिशिष्ट-03)

विकासखंड स्तरीय स्थापित 265 मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाएं

क्र.	जिला	विकास खंड का नाम जहां मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है	प्रयोगशाला संख्या
1	भोपाल	बैरसिया	1
		योग जिला	1
2	सीहोर	आष्टा	1
		इछावर	1
		बुदनी	1
		भैरून्दा (नसरूल्लागंज)	1
		योग जिला	4
3	रायसेन	बेगमगंज	1
		गैरतगंज	1
		औबेदुल्लागंज	1
		बाडी	1
		सिलवानी	1
		उदयपुरा	1
		योग जिला	6
4	विदिशा	ग्यारसपुर	1
		बासौदा	1
		नटेरन	1
		सिरोंज	1
		लटेरी	1
		योग जिला	5
5	राजगढ	खिलचीपुर	1
		जीरापुर	1
		ब्यावरा	1
		नरसिंहगढ	1
		सारंगपुर	1
		योग जिला	5
6	बैतूल	शाहपुर	1
		चिचोली	1
		घोडाडोंगरी	1
		मुलताई	1
		आमला	1
		प्रभातपटटन	1
		भैंसदेही	1
		आठनेर	1
		भीमपुर	1
		योग जिला	9
7	नर्मदापुरम	बाबई	1
		केसला	1
		सिवनी-मालवा	1
		सोहागपुर	1
		पिपरिया	1
		बनखेडी	1
		योग जिला	6
8	हरदा	टिमरनी	1
		खिरकिया	1
		योग जिला	2
9	उज्जैन	घटिटया	1
		बडनगर	1
		तराना	1
		महिदपुर	1
		खाचरौद	1
		योग जिला	5
10	आगर-मालवा	आगर	1
		बडौदा	1
		सुसनेर	1
		नलखेडा	1
		योग जिला	4
11	मंदसौर	मल्हारगढ	1
		सीतामऊ	1
		गरोठ	1
		भानपुरा	1
		योग जिला	4
12	शाजापुर	मोमनबडोदिया	1
		कालापीपल	1

www.newsjobmp.com

क्र.	जिला	विकास खंड का नाम जहां मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है	प्रयोगशाला संख्या
		शुजालपुर	1
	योग जिला		3
13	देवास	बागली	1
		कन्नौद	1
		खातेगांव	1
		टोंकखुर्द	1
		सोनकच्छ	1
	योग जिला		5
14	नीमच	जावद	1
		मनासा	1
	योग जिला		2
15	रतलाम	बाजना	1
		जावरा	1
		पिपलौदा	1
		आलोट	1
		सैलाना	1
	योग जिला		5
16	धार	बाग	1
		डही	1
		बदनावर	1
		धरमपुरी	1
		गंधवानी	1
		कुक्षी	1
		मनावर	1
		नालछा	1
		निसरपुर	1
		सरदारपुर	1
		तिरला	1
		उमरबन	1
	योग जिला		12
17	खरगौन	भागवानपुरा	1
		भीकनगांव	1
		गोगांव	1
		कसरावद	1
		बडवाह	1
		महेश्वर	1
		सेगांव	1
		झिरन्या	1
	योग जिला		8
18	बडवानी	बडवानी	1
		निवाली	1
		पानसेमल	1
		पाटी	1
		राजपुर	1
		सेंधवा	1
		ठीकरी	1
	योग जिला		7
19	खंडवा	छेगांवमाखन	1
		हरसूद	1
		खालवा	1
		बलडी	1
		पन्धाना	1
		पुनासा	1
	योग जिला		6
20	झाबुआ	मेघनगर	1
		पेटलावाद	1
		रामा	1
		रानापुर	1
		थांदला	1
	योग जिला		5
21	अलीराजपुर	अलीराजपुर	1
		भाबरा	1
		जोबट	1
		कट्ठीवाडा	1
		सोंडवा	1
		उदयगढ	1

www.newsjobmp.com

क्र.	जिला	विकास खंड का नाम जहां मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है	प्रयोगशाला संख्या
		योग जिला	6
22	इंदौर	देपालपुर	1
		सांवेर	1
		महू	1
		योग जिला	3
23	बुरहानपुर	खकनार	1
		योग जिला	1
24	बालाघाट	बैहर	1
		बिरसा	1
		कटंगी	1
		खैरलांजी	1
		किरनापुर	1
		लालबर्रा	1
		लांजी	1
		परसवाडा	1
		वारासिवनी	1
		योग जिला	9
25	छिंदवाडा	अमरवाडा	1
		बिछुआ	1
		चौरई	1
		हर्रई	1
		मोहखेड	1
		परासिया	1
		तामिया	1
		जुन्नारदेव	1
		योग जिला	8
26	पान्ढुरना	पान्ढुरना	1
		सौंसर	1
	योग जिला	2	2
27	नरसिंहपुर	चावरपाठा	1
		गोटेगांव	1
		करेली	1
		चीचली	1
		सांईखेडा	1
		योग जिला	5
28	जबलपुर	कुडण्म	1
		मझोली	1
		पनागर	1
		पाटन	1
		शहपुरा	1
		सिहोरा	1
		योग जिला	6
29	सिवनी	छपारा	1
		धनौरा	1
		कन्हापास (धनसौर)	1
		केवलारी	1
		कुरई	1
		लखनादौन	1
		बरघाट	1
		योग जिला	7
30	मंडला	बीजाडाण्डी	1
		घुघरी	1
		बिछिया	1
		मवई	1
		मोहगांव	1
		नैनपुर	1
		नारायणगंज	1
		निवास	1
		योग जिला	8
31	कटनी	बहोरीबंद	1
		ढीमरखेडा	1
		बडवारा	1
		रीठी	1
		विजय राघवगढ	1
		योग जिला	5
		बजाग	1

www.newsjobmp.com

क्र.	जिला	विकास खंड का नाम जहां मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है	प्रयोगशाला संख्या
32	डिण्डोरी	अमरपुर	1
		करंजिया	1
		मेंहदवानी	1
		समनापुर	1
		शहपुरा	1
	योग जिला		6
33	छतरपुर	छतरपुर	1
		बारीगढ़	1
		बिजावर	1
		बक्सवाहा	1
		बडामलेहरा	1
		लवकुशनगर (लौंडी)	1
		राजनगर	1
	योग जिला		7
34	दमोह	बटियागढ़	1
		जबेरा	1
		पटेरा	1
		तेंदूखेडा	1
		हटा	1
		पथरिया	1
	योग जिला		6
35	टीकमगढ	जतारा	1
		पलेरा	1
		बल्देवगढ	1
	योग जिला		3
36	निवाडी	निवाडी	1
		पृथ्वीपुर	1
	योग जिला		2
37	सागर	बीना	1
		देवरी	1
		जयसिंह नगर	1
		केसली	1
		खुरई	1
		मालथोन	1
		राहतगढ	1
		रेहली	1
		बंडा	1
		शाहगढ	1
	योग जिला		10
38	पन्ना	गुनोर	1
		अजयगढ़	1
		पवई	1
		शाहनगर	1
	योग जिला		4
39	रीवा	जवा	1
		रायपुर कर्चुलियान	1
		गंगेव	1
		सिरमौर	1
		त्योंथर	1
	योग जिला		5
40	मउगंज	मउगंज	1
		हनुमना	1
		नईगढी	1
	योग जिला		3
41	सतना	मझगवां	1
		नागौद	1
		रामपुरबघेलान	1
		उचहरा	1
	योग जिला		4
42	मैहर	मैहर	1
		अमरपाटन	1
		रामनगर	1
	योग जिला		3
	सीधी	मझौली	1
		रामपुरनैकिन	1

www.newsjobmp.com

क्र.	जिला	विकास खंड का नाम जहां मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है	प्रयोगशाला संख्या
43		कुसमी	1
		सिंहावल	1
		योग जिला	4
44	सिंगरौली	बैढन	1
		चितरंगी	1
		देवसर	1
		योग जिला	3
45	उमरिया	मानपुर	1
		पाली	1
		योग जिला	2
46	अनुपपूर	जेतहरी	1
		कोतमा	1
		पुष्पराजगढ	1
		योग जिला	3
47	शहडोल	बुढार	1
		गोहपरू	1
		जैयसिंहनगर	1
		ब्यौहारी	1
		योग जिला	4
48	ग्वालियर	डबरा	1
		घाटीगांव	1
		भितरवार	1
		योग जिला	3
49	अशोकनगर	चंदेरी	1
		ईसागढ	1
		मुंगावली	1
		योग जिला	3
50	शिवपुरी	करेरा	1
		खनियाधाना	1
		कोलारस	1
		नरवर	1
		पिछौर	1
		बदरवास	1
		पोहरी	1
		योग जिला	7
51	गुना	बामोरी	1
		चांचोडा	1
		आरोन	1
		राघौगढ	1
		योग जिला	4
52	दतिया	भांडेर	1
		सेवढा	1
		योग जिला	2
53	भिंड	अटेर	1
		गोहद	1
		लहार	1
		मेहगांव	1
		रौन	1
		योग जिला	5
54	मुरैना	जौरा	1
		कैलारस	1
		अम्बाह	1
		पहाडगढ	1
		पोरसा	1
		सबलगढ	1
		योग जिला	6
55	श्योपुर	करहल	1
		विजयपुर	1
		योग जिला	2
		महायोग	265

संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र.भोपाल